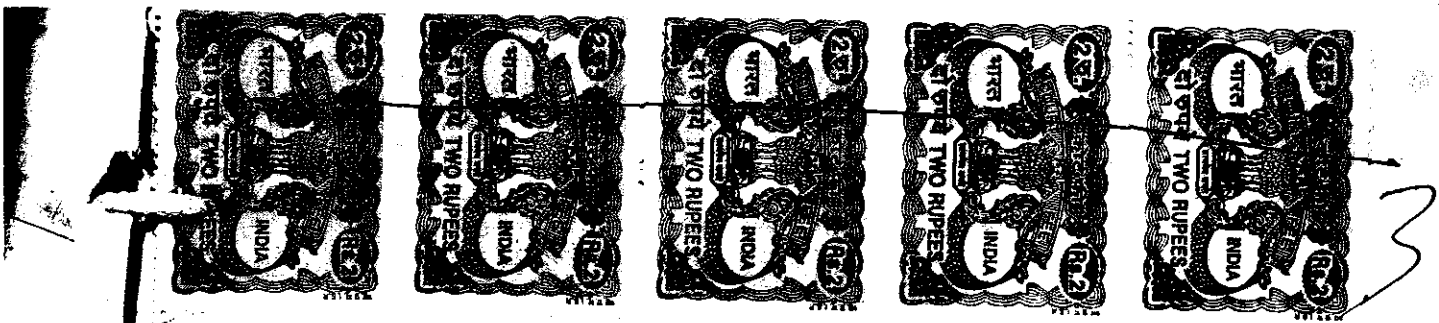

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, इंदौर

R- 3939- PBR/14

मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद युसुफ,
निवासी – 72, पिंजारा बाखल, इंदौर —— रिविजनकर्ता

विरूद्ध

1. भेरूसिंह पिता गंगाराम,
2. अंतरसिंह पिता गंगाराम,
3. बाबूलाल पिता गंगाराम,
4. रामनारायण पिता चतरसिंह,
   सभी निवासी – ग्राम मेठवाड़ा,
   तहसील देपालपुर व जिला इंदौर
5. मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद अली,
   निवास – 23, पिंजारा बाखल, इंदौर
6. मुश्ताक एहमद पिता बाबू खां,
   निवासी – ग्राम मेठवाड़ा,
   तहसील देपालपुर व जिला इंदौर —— प्रतिप्रार्थीगण

22-11-14

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय,

सदर रिविजन में रिविजनकर्ता तर्फे अर्ज है कि :–

माननीय अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, श्रीमान् एस.पी. सलोजा साहब के राजस्व न्यायालय में विचाराधीन अपील 43/14–15 में स्थगन आवेदन (स्टे) को तारीख 11-11-14 को निरस्त किया, जिससे व्यथित एवं व्याकुल होकर यह रिविजन सादर पेश की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर मोहम्मद/भैरूसिंह

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग —पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21—11—2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 11—11—2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । निगरानी ग्राह्य की जाती है । चूँकि इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित अपील में स्थगन नहीं देने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं । अतः प्रकरण में अभिलेख मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों से आवेदक का नाम कम कर पटवारी को अमल दरामद करने हेतु पृथक से पत्र जारी करने के आदेश दिये गये है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में स्थगन दिया जाना न्यायोचित है, क्योंकि अगर स्थगन नहीं दिया गया तो प्रश्नाधीन भूमि से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में आवेदकगण का नाम कम कर उन्हैं प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा, जिससे जहां उन्हैं अपूर्णीय क्षति होगी, वही अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील निरर्थक हो जायेगी । अतः अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11—11—2014 का कियान्वयन 90 दिवस के लिये स्थगित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में	

	यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है । प्रकरण अपर आयुक्त को 90 दिवस में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	